बिहार विधान परिषद

210वां मॉनसून सत्र

अल्पसूचित प्रश्न
23 जुलाई 2025

[राजस्व एवं भूमि सुधार - सहकारिता - पर्यटन - सूचना एवं जनसम्पर्क - खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण - नगर विकास एवं आवास - सामान्य प्रशासन - मंत्रिमंडल सचिवालय - निगरानी - सूचना प्रावैधिकी - निर्वाचन - आपदा प्रबंधन].

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या 25

सीवरेज नेटवर्क परियोजना

***20 श्री महेश्वर सिंह (पूर्वी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी पूरे पटना शहर की खुदाई करने, नाला और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कई जगह बनाए जाने के बावजूद अभीतक 60 प्रतिशत सीवरेज का पानी बिना उपचार किए प्रदूषित रूप में ही पवित्र गंगा नदी में प्रवाहित किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि इसी प्रकार मोतिहारी सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए सरकार ने स्वीकृत किए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि मोतिहारी के कई वार्डों, यथा वार्ड संख्या 41 में जर्जर सड़क और पेयजल संकट के कारण लोगों का जीना दूभर हो गया है, जिले की सरिसवा नदी का पानी प्रदूषण से जहरीला हो गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पटना में कबतक गंगा नदी में उपचार के बाद प्रदूषणमुक्त सीवरेज का पानी गिर सके, ऐसी व्यवस्था

करने तथा मोतिहारी में सीवरेज नेटवर्क परियोजना के तहत जल संरक्षण, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, पुनर्चक्रण, पेयजलापूर्ति तथा वाटर हार्वेस्टिंग, एवं रक्सौल की सरिसवा नदी की सफाई सहित संबद्ध योजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखती है?

आउटसोर्सिंग की व्यवस्था

*21 **श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **सूचना प्रावैधिकी** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि आउटसोर्सिंग की व्यवस्था ने मजदूरों और कर्मियों की शोषण को पुख्ता बनाया है, और राज्य के राजस्व की क्षति पहुंचाई है;

(ख) क्या यह सही है कि आउटसोर्सिंग की व्यवस्था ने कंपनियों, अधिकारियों और नेताओं को भारी लाभ पहुंचाया है जो आए दिन उद्घाटित हो रहे हैं, सरकारी नियोजन भवन और बेल्टरॉन के रहते अन्य एजेंसियों को नियोजन के काम में क्यों लगाया जा रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर सकारात्मक हैं तो क्या सरकार विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म कर क्या उन कर्मियों को विभागों में समाहित करेगी, यदि हाँ तो कबतक, यदि नहीं तो क्यों?

पार्किंग की व्यवस्था

*22 **श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा शहर में प्रत्येक दिन 14 प्रखंड के लोग व्यपार करने आया करते है, शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं रहने के कारण सड़क किनारे वाहन को खड़े कर दिया करते है;

(ख) क्या यह सही है कि शहर में पार्किंग की सुविधा नही रहने के कारण सड़क किनारे वाहन खड़े कर देने से जाम कि समस्या उत्पन्न हो जाती है जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ग) क्या यह सही है कि नवादा शहर में पार्किंग की व्यावस्था करवा दिया जाय तो शहर में जाम कि समस्या से निजात मिल जायेगा एवं वाहन पार्किंग चार्ज से सरकार को राजस्व में बढोत्तरी होगी;

(घ) यदि उपरोक्त खंडो का उत्तर स्वीकारत्मक है तो क्या सरकार नवादा शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए शाहर में पार्किंग की व्यवास्था कराना चाहती है,

यदि हाँ तो कबतक नही तो क्यों?

शौचालय निर्माण

***23 डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत पटना शहर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के पैथोलोजी संस्थान के पास प्रतिदिन कई हजार लोग यूरिन जाँच एवं अन्य जाँच के लिए उपस्थित होते हैं जिसके लिए उक्त स्थान के पास एक मात्र शौचालय बने रहने से लोगों को यूरिन देने में काफी कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त जाँच केन्द्र के पास उपस्थित लोगों की भीड़ को देखते हुए कम से कम 10 शौचालय निर्माण करने की अति आवश्यकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार खंड 'क' पर अंकित स्थिति में उक्त जाँच केन्द्र के पास कम से कम 10 शौचालय निर्माण करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक?

आरक्षण अनुसार नियुक्ति

***24 श्री सैयद फैसल अली (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **सामान्य प्रशासन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राज्य में पिछड़ा/अति पिछड़ा/अल्पसंख्यक समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए जाति सर्वेक्षण कराये जाने के बावजूद आज सरकारी विभागों और महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में उनका कोई अनुपात नहीं है;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस पर कोई खास पहल नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य के कुल 38 ज़िलाधिकारीयों, पुलिस अधिक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, विश्विद्यालय के कुलपति एवं उपकुलपति के पद पर जातिगत अनुपात का अनुपालन नहीं हुआ है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकारी पदों पर जातिगतअनुपात के अनुसार नियुक्ति करना चाहती है , यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कचरा का उठाव

***25 श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत अनीसाबाद स्थित पटना नगर निगम वार्ड नं०-11 मित्र मंडल कॉलोनी के डी-सेक्टर के वृदावन लेन, मथुरा लेन, इत्यादि रोड़ में कचरा उठाने हेतु नगर निगम की गाड़ी उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) क्या यह सही कि उक्त स्थान पर कचड़ा उठाने वाला गाड़ी वरावर खराब रहता है, जिससे कि प्रत्येक रोड का सप्ताह में दो दिन ही कचरा का उठाव हो पाता है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त स्थान के निगम के सफाई इन्सपेक्टर श्री मनोज अवैध रूप से राशि के उगाही में लगें रहते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार, इसकी जांच कराकर अवैध धंधे में संलिप्त दोषी कर्मचारी पर कार्रवाई करते हुए नियमित रूप से प्रत्येक रोड़ से कचरा का उठाव कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

अतिक्रमण मुक्त कबतक

***26 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत राज्य के सभी जल श्रोतों (तालाब, कुँआ इत्यादी) के पुनरूद्धार के लिए सरकार अत्यन्त गंभीर एवं प्रयत्नशील है तथा युद्ध स्तर पर ये काम करवाये भी जारहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि सरकार की अति-महत्वाकांक्षी योजना के कार्यान्वयन में सहयोग करना तथा सार्वजनिक कुंवा एवं तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने में सम्बन्धित अंचलाधिकारी की महती भूमिका सुनिश्चित की गई है;

(ग) क्या यह सही है कि दरभंगा जिला अन्तर्गत सिंहवाड़ा अंचल के खुर्द मनिहास गाँव में जामा मस्जिद के निकट सड़क किनारे स्थित सार्वजनिक कुँआ पर दबंग ने अतिक्रमण करके घर बना लिया है;

(घ) क्या यह सही है कि ग्रामीणों द्वारा मौखिक रूप में अनेकों बार सूचना तथा लिखित रूप में 22.11.2024 एवं 05.03.2025 को सामूहिक आवेदन देकर अंचलाधिकारी को सूचना दी गई परन्तु गंभीरता से नहीं लिया गया तथा दबंग द्वारा ताकत के बल पर मकान का निर्माण कार्य जारी रखा गया जिसमें अंचलाधिकारी की संलिप्तता प्रतीत होती है;

(ङ) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार कब तक उक्त

सार्वजनिक कुँवा को अतिक्रमण मुक्त कराएगी तथा सम्बन्धित सी.ओ. की भूमिका की जांच एवं कार्रवाई करेगी?

एस. टी. पी. (STP) बनाने का विचार

***27 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत बाकरगंज नाला का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि बाकरगंज नाला का पानी सीधे गंगा नदी में प्रवाहित हो रही है, तथा नाला निर्माण के उपरांत भी उक्त नाला के पानी का वगैर ट्रीटमेंट गंगा में प्रवाहित होगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नाला के पानी कि सफाई हेतु STP बनाने या किसी पूर्व से निर्मित STP से जोड़ने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

कचरा पर प्रतिबंध कबतक

***28 श्री राधाचरण साह (स्थानीय प्राधिकार, भोजपुर एवं बक्सर):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत आरा नगर निगम के वार्ड संख्या-38 के अंतर्गत डॉ पी मेहरा की गली के सामने पीडब्ल्यूडी मुख्य सड़क के पास हमेशा काफी मात्रा में कूड़ा-कचरा कई दिनों तक खुले में पड़ा रहता है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थान पर कूड़ा-कचरा पड़े रहने के चलते आवारा पशु वहाँ अक्सर घूमते रहते है जिससे सड़क दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्थान पर खुले में कचरा गिराने पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों?

अंकेक्षण कबतक

*29 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **सहकारिता** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी प्रखण्ड अन्तर्गत मोतीझील, पुराना नगर थाना के सामने स्मृति प्लाजा अपार्टमेण्ट आनर्स मैंटेनेंस सेल्फ सपोर्टिंग सहकारिता सोसाईटी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर का विधि मान्य अंकेक्षण निबंधन की तिथि से आज तक नहीं कराया गया है और निबंधन की तिथि से आज तक वर्षवार वार्षिक विवरणी समर्पित नहीं की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि समिति का निर्वाचन दिनांक 10.06.2024 तक किया जाना था किन्तु अबतक निर्वाचन संपन्न नहीं होने के कारण समिति अवक्रमित हो गई है, फिर भी समिति के भूतपूर्व पदाधिकारियों द्वारा समिति के बैंक खाता का संचालन अनियमित रूप से किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार स्मृति प्लाजा अपार्टमेण्ट आनर्स मैंटेनेंस सेल्फ सपोर्टिगं सहकारिता सोसाईटी लिमिटेड, मुजफ्फरपुर का विधि मान्य अंकेक्षण कबतक कराने का विचार रखती है और इसमें दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करना चाहेंगी, यदि हाँ तो कबतक, यदि नहीं तो क्यों?

पानी की जलापूर्ति

*30 **श्री भीसम साहनी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत सदर प्रखंड के वार्ड नं० 13 में महावीर कॉलनी बेऊर जेल रोड नं०-03 में श्री बलेन्द्र शर्मा के घर से उषा कुमारी के घर तक पानी की जलापूर्ति की व्यब्स्था नहीं है;

(ख) क्या यह सही कि रोड नं०-03 में जलापूर्ति हेतु पाईप नहीं बिछाया गया है, जिससे उक्त गली में रहने वाले निवासियों को पानी की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार महावीर कॉलनी में रोड नं०-03 में जलापूर्ति हेतु पाईप बिछाना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

संवेदक पर कार्रवाई

*31 **डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी प्रखण्ड के एकता नगर, पूरणेन्दु नगर, किसान कॉलनी एवं मित्रमण्डल कॉलनी के वृन्दावन लेन में पानी हेतु पाईप पूर्व में बिछा दी गई थी ;

(ख) क्या यह सही कि कई साल बीत जाने के बाद भी उक्त पाईप में जलापूर्ति नहीं की जा रही है:

(ग) क्या यह सही कि उक्त क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु पुनः पाईप लाइन लगाने का कार्य किया जा रहा है, जबकि अभी तक जलापूर्ति नहीं होने के कारण वहां के निवासियों में काफी रोष है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर विलंब करनेवाले संवेदक पर कार्रवाई करते हुए शीघ्र जलापूर्ति कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक नहीं तो क्यों ?

सीवरेज पाईप एवं चेम्बर का निर्माण

*32 **प्रो. (डा.) नवल किशोर यादव (शिक्षक पटना) :**
डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा) :

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत अनीसाबाद में पटना नगर निगम वार्ड नं०-11 के पश्चिमी आनंद विहार में शकुन्तला ज्ञान निकेतन स्कूल के बगल से विनीतालय (श्री डी०पी० चौरसिया के मकान) होते हुए श्री सुशील जी के लेबर रूम होकर किसान कॉलोनी फेज-3 में स्थित इंजीनियर राजकुमार प्रसाद के मकान तक नमामि गंगे योजनान्तर्गत सीवरेज पाईप नहीं डाला गया है, और न ही चेम्बर का निर्माण कराया गया है, जिससे आवासियों को अपने मकान से पानी निकासी में कठिनाई होती है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त स्थान का जर्जर सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे आवासियों को रात्रि में आने-जाने में कठिनाई होती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना नगर निगम वार्ड नं०-11 के उक्त सड़क पर नमामि गंगे योजनान्तर्गत सीवरेज पाईप डालते हुए चेम्बर एवं सड़क का निर्माण करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जमीन की दर निर्धारण

*33 **श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
(क) क्या यह सही है कि विगत कई वर्षों से एम.बी.आर. (Minimum Benchmark Rate) अद्यतन नहीं होने के कारण वास्तविक बाजार मूल्य और सरकारी दरों में अंतर उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिग्रहण से पूर्व संबंधित क्षेत्र का बाजार मूल्य निर्धारित किया जाएगा और इसके लिए जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य में राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं तथा औद्योगिक कोरिडोर जैसे संरचनात्मक विकास हेतु बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार द्वारा सभी जिलों में अद्यतन बाजार मूल्य के आधार पर जमीन की दर निर्धारित करने का कार्य पूरा कर लिया गया है, यदि नहीं, तो इसे पूरा करने की संभावित समय-सीमा क्या है?

पर्यटन के रूप में विकसित

*34 **श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने रोहतास जिला के एन.एच 2 के समीप कुम्हउ गांव के कुम्हउ गेट पर एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा बनाकर पर्यटन केंद्र विकसित करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या यह सही है कि इसके तहत आधारभूत संरचना का निर्माण, संपर्क पथ का निर्माण सहित अन्य आवश्यक कार्य किए जाने की योजना बनाई गई है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रोहतास जिले में इस दूरगामी और प्रशंसनीय योजना के तहत कितनी राशि का प्रावधान एवं कितने जमीन को चिह्नित किया गया है, तथा उसे कबतक पूरा करने का लक्ष्य है?

"विकास भी विरासत भी" संकल्प

*35 **श्रीमती अम्बिका गुलाब यादव (मधुबनी स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-
(क) क्या यह सही है की "विकास भी विरासत भी" संकल्प के तहत मधुबनी जिले में

भगवान शिव जी से संबंधित पर्यटन स्थलों/ पौराणिक धरोहरों तथा मंदिरों यथा- (1). एकादश रूद्र मंदिर, राजनगर, मधुबनी (2). कपिलेश्वर स्थान, रहिका, मधुबनी (3). मदनेश्वर स्थान, अंधराठाढ़ी, मधुबनी के विकास कार्य को पर्यटन व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मूर्त रूप दिया जाना है;

(ख) क्या यह सही है की इसके लिए इन धार्मिक स्थलों के विकास कार्य के क्रियान्वन हेतु भूमि चिन्हित कर उसके स्वामित्व तथा नजरी नक्शा उपलब्धता संबंधित कार्य लंबित है;

(ग) यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त धार्मिक स्थलों/ मंदिरों के विकास हेतु आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, यदि नहीं तो क्यों ?

नए स्ट्रीट लाइट कबतक

*36 **श्री तरुण कुमार (समस्तीपुर स्थानीय प्राधिकार)**:

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है की समस्तीपुर नगर निगम के अंतर्गत नए स्ट्रीट लाइट के लगाने के साथ हीं पुराने खराब लाइट को बदलने हेतु निविदा कर लिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त निविदा से चयनित एजेंसी के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अब तक कार्य की शुरुआत नहीं की गई है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार निविदा की शर्तों के अनुसारनए स्ट्रीट लाइट के लगाने तथा पुराने स्ट्रीट लाइट का बदलाव की प्रक्रिया कबतक पूरी करने का विचार रखती है?

कार्रवाई कब तक

*37 **श्रीमती रीना देवी (स्थानीय प्राधिकार, नालन्दा)**:

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

(क) क्या यह सही है कि नालन्दा जिलान्तर्गत चंडी प्रखंड के ग्राम-बढ़ौना के वार्ड नं०-5 में पी.सी.सी. ढलाई हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत मेरे द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में जिला योजना पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 2046/जि०यो०, दिनांक- 27.12.2024 द्वारा अंचलाधिकारी,चंडी को एन.ओ.सी. हेतु भेजा गया था;

(ख) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी, चंडी के पत्रांक- 1019/ दिनांक- 01.07.2025 के द्वारा काफी विलंब से एन.ओ.सी. दिया गया, एन.ओ.सी. का आदेश देने में देर करने के कारण विकास योजना बाधित हुआ तथा ससमय योजना का कार्यान्वयन नहीं हो सका,जो अंचलाधिकारी की लापरवाही एवं घोर अनुशासनहीनता को दर्शाता है;

(ग) क्या यह सही है कि अंचलाधिकारी के कार्य-कलापों के बारे में क्षेत्रीय जनता से जानकारी प्राप्त किया तो इनका हरेक कार्यों को विलंब से एवं मनमाने ढंग से करना, भ्रष्टाचार करना एवं अन्य कई प्रकार की शिकायतें भी प्राप्त हुई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित योजनाओं एवं जनहित के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अंचलाधिकारी, चंडी को स्थानांतरित करने एवं इनपर विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए इनके कार्य-कलापों की जांच कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

संपत्ति की जांच

***38 श्री जीवन कुमार (शिक्षक गया):**

क्या मंत्री, **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि वर्तमान जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बांका लगभग 14 वर्षों से लगातार बांका जिला में ही प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी/ सहायक प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम या अन्य पदों पर पदस्थापित रहे हैं;

(ख) क्या यह सही है कि एक ही जिले में किसी पदाधिकारी के इतने वर्षों तक बने रहने से मनमानेपन कार्यशैली, स्वेच्छाचारिता एवं भ्रष्टाचार बढ़ने की प्रबल संभावना होती है;

(ग) क्या यह सही है कि इतने दिनों के पदस्थापन काल में उक्त के द्वारा अपने करीबी लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाया जाता रहा है, जिनकी संपत्ति की जांच आवश्यक है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वर्षों से लगातार एक ही जिले में पदस्थापित वर्तमान पदेन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बांका को अविलंब अन्यत्र जिले में स्थानांतरित करते हुए इनके कार्यकाल में हुए कार्यों व टेंडरों की जांच निगरानी विभाग से कराना चाहती है, यदि हां तो कब तक?

विद्युत शवदाह गृह कबतक

***39 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा नगर क्षेत्रों में विद्युत शवदाह गृह उलब्ध कराने का प्रास्ताव है;

(ख) क्या यह सही है कि नवादा जिला में कुल चार प्रखंड में नगर क्षेत्र है जो कि नगर पंचायत रजौली, हिसुआ, वारिसलीगंज एवं नगर परिषद नवादा यहाँ अबतक विद्युत

शवदाह गृह उपलब्ध नही कराया गया है;

(ग) क्या यह सही है कि नवादा जिला के उक्त नगर क्षेत्रों में विद्युत शवदाह गृह उपलब्ध करा दिया जाय तो लोगों को शव जलाने में सहूलियत होगी एवं सरकार को राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी ;

(घ) यदि उपरोक्त खंडो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नवादा जिला के रजौली, हिसुआ, वारिसलीगंज, नवादा नगर क्षेत्रों में विद्युत शवदाह गृह उपलब्ध कराना चाहती है यदि हाँ तो कबतक नही तो क्यों?

स्ट्रीट लाईट कबतक

*40 **श्री अशोक कुमार अग्रवाल (कटिहार त्रिस्तरीय पंचायती राज):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत अनीसाबाद में पटना नगर निगम वार्ड नं०-11 के पश्चिमी आनंद विहार में शकुन्तला ज्ञान निकेतन स्कूल के बगल से विनीतालय (श्री डी०पी० चौरसिया के मकान) होते हुए श्री सुशील जी के लेबर रूम होकर किसान कॉलोनी फेज-3 में स्थित इंजीनियर राजकुमार प्रसाद के मकान तक बिजली पोल पर स्ट्रीट लाईट नहीं लगा हुआ है, जिससे वहाँ के आवासियों को रात्रि में आने- जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सही है कि उपर्युक्त उल्लेखित स्थान का जर्जर सड़क का निर्माण भी नहीं कराया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना नगर निगम वार्ड नं०-11 के उक्त सड़क के बिजली पोलो पर स्ट्रीट लाईट लगवाना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?

फर्जी रैयती खेसरा रद्द कबतक

*41 **प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **राजस्व एवं भूमि सुधार** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मौजा कंडी के थाना नं. 190 में सरकारी समदा आहर, पईन को 1981 के रिविजनल सर्वे में रैयती बना दिया गया, जिसका नया खेसरा नं. 1186 है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त सरकारी समदा आहर, पईन को रैयती बना देने के कारण उसकी बिक्री धडल्ले से की जा रही है;

(ग) क्या यह सही है कि हाल ही में उक्त पईन को लघु सिंचाई विभाग द्वारा करोड़ों रूपये की राशि खर्च कर उड़ाही का कार्य किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार खंड 'क' में वर्णित फर्जी रैयती खेसरा को रद्द करना चाहती है और बिक्री की जा रही भूमि पर रोक लगाना चाहती है?

सीवर एवं नाले को बंद

*42 **डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **नगर विकास एवं आवास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिले से होकर बहने वाली गंगा नदी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सीवर एवं नाले के पानी बहाव अब भी जारी है;

(ख) क्या यह सही है कि सीवर एवं नाले के पानी का गंगा में गिरना प्रदूषण एवं पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से बड़ा खतरा है;

(ग) क्या यह सही है कि ऐसे कितने नाले एवं सीवर को प्रशासनिक स्तर पर चिन्हित किया गया है;

(घ) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गंगा नदी में गिरने वाले सीवर व नाले को कब तक बंद करने का विचार रखती है?

धर्मशाला का निर्माण

*43 **श्रीमती निवेदिता सिंह (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **पर्यटन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि रोहतास जिला स्थित गुप्ता धाम में पर्यटकीय दृष्टिकोण से श्रद्धालुओं/पर्यटकों के आवासन हेतु धर्मशाला का निर्माण कराया जाना है;

(ख) क्या यह सही है कि ऐसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल पर श्रद्धालुओं/पर्यटकों की सुविधा के लिए स्थाई शेड, शुद्ध पेयजल, स्नानागार, पेशाब घर एवं सुलभ शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है;

(ग) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार गुप्ता धाम पर्यटन स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को संज्ञान में लेते हुए श्रद्धालुओं/पर्यटकों की सुविधा हेतु समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

गैस पाइप लाईन की आपूर्ति

***44 श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना जिलान्तर्गत घरेलू गैस की आपूर्ति गैस पाइप द्वारा घर-घर आपूर्ति करने की योजना है;

(ख) क्या यह सही कि उक्त योजना में घरेलू गैस आपूर्ति हेतु पाईप का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है;

(ग) क्या यह सही कि पटना जिलान्तर्गत फुलवारी प्रखण्ड के मित्रमण्डल कॉलनी के बन्दावन लेन, वशीष्ठ कॉलोनी एवं एकता नगर रोड न०- 1 एवं 2, किसान कॉलनी तथा बेऊर के महावीर कॉलनी [वॉर्ड नंबर 13] के रोड नं० 3 में अबतक घरेलू गैस की आपूर्ति पाईप द्वारा नहीं की जा रही है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार घरेलू गैस की आपूर्ति पाईप लाईन द्वारा डोर टू डोर अबतक नहीं कराने वाले संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई करते हुए यथाशीघ्र घरेलू गैस की आपूर्ति करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

पटना - 800015.
23 जुलाई, 2025.

अखिलेश कुमार झा,
सचिव, बिहार विधान परिषद्